

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 261 / 2012

दर्ज दिनांक:—12.07.2012

1. लीला
2. देवीसिंह
3. लक्ष्मन
4. केशव

पिसरान नत्थी जाति जाट निवासी तुहिया तहसील व जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

प्रहलाद गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल (भुसावर वाले) जाति वैश्य निवासी गिर्राज कॉलोनी,
किला भरतपुर।

..... प्रतिवादी

उपस्थित:

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—04.01.2019

पत्रावली पेश हुई। चूंकि मूलदावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. भी खारिज किया जाता है। अदालत द्वारा जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.12.2009 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर